भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 491

06.02.2023 को उत्तर के लिए

पुन:उपयोगी, पुनरावर्तनीय या कम्पोस्टेबल पैकेजिंग

491. श्री एस.आर. पार्थिबन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनियों को केवल पुन:उपयोगी, पुनरावर्तनीय अथवा कम्पोस्टेबल पैकेजिंग का उपयोग करने का लक्ष्य दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्लास्टिक के लिए पुनर्चक्रण अवसंरचना में निवेश किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्‌योगों पर एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का क्या प्रभाव है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के विकल्पों के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर जीएसटी को कम करने के लिए वित्त मंत्री या जीएसटी परिषद को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय अब ऐसा कोई प्रस्ताव भेजेगा?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन:उपयोग हेतु उत्पादकों, आयातकों और ब्रैंड मालिकों के लिए अनिवार्य लक्ष्य, प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनरावर्तन का न्यूनतम स्तर और प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनरावर्तित प्लास्टिक वस्तु का न्यूनतम उपयोग विनिर्दिष्ट किया गया है। कम्पोस्टेबल पैकेजिंग सहित प्लास्टिक पैकेजिंग की विभिन्न श्रेणियों में प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनरावर्तन के न्यूनतम स्तर हेतु वर्ष-वार लक्ष्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	**लक्ष्य (विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का %)**
2024-25	30-50
2025-26	40-60
2026-27	50-70
2027-28 के बाद से	60-80

वर्ष 2023-24 से कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बनी प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर का लक्ष्य 100% है।

ब्रैंड मालिकों द्वारा सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन:उपयोग का लक्ष्य नीचे तालिका में दिया गया है। खाद्य सामग्री के प्रत्यक्ष संपर्क में प्रयुक्त सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग का पुन:उपयोग, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के विनियमन के अध्यधीन है।

	लक्ष्य (वार्षिक रूप से बेचे गए उत्पादों में सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रतिशत के रूप में)			
	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके बाद से
0.9 ली. या किग्रा के बराबर या उससे अधिक मात्रा या भार लेकिन 4.9 ली. या किग्रा से कम, जैसा भी मामला हो, की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग	10	15	20	25
0.9 ली. या किग्रा के बराबर या उससे अधिक मात्रा या भार लेकिन 4.9 ली. या किग्रा से कम, जैसा भी मामला हो, की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग	70	75	80	85

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनरावर्तन के न्यूनतम स्तर के प्रवर्तनीय दायित्वों का उद्देश्य, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट हेतु पुनरावर्तन अवसंरचना का विकास करना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार की स्कीमें, प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए पुनरावर्तन अवसंरचना के विकास हेतु स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) से (च) अभिज्ञात सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 को जारी की गई थी और यह दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी हुई। प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को विकल्पों में परिवर्तित होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास एमएसएमई इकाइयों को सहायता प्रदान करने हेतु स्कीमें हैं, जिनमें प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्रियों के विनिर्माण में पूर्व में शामिल ऐसी इकाइयों को विकल्पों/अन्य उत्पादों में परिवर्तित होने के लिए सहायता देना शामिल है। इन स्कीमों में प्रोद्योगिकी उन्नयन, जागरूकता सृजन, विपणन सहायता और अवसंरचनात्मक सहायता के संबंध में स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। विकल्पों के विनिर्माण से रोजगार के नए अवसर और व्यवसाय प्रतिमान सृजित होंगे। जीएसटी परिषद सचिवालय को प्रतिबंधित सिंगल यूज़ सामग्रियों के विकल्पों के अंगीकरण में वृद्धि करने के क्रम में जीएसटी दरों को समायोजित करने का सुझाव दिया गया है।

*****